

कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता

श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

कार्यालय दूरभाष नं.- 07662-241655

ई-मेल- deanmcrewa@rediffmail.com

फैक्स नं.- 07662-251167

वेबसाइट- www.ssmcrewa.com

क्रमांक / स्था. / अराज. / एमसी / 2022

रीवा, दिनांक

अधिसूचना

म.प्र. नर्सिंग शिक्षण संस्थान मान्यता नियम, 2018 में संशोधन दिनांक 01 अगस्त, 2022 में उल्लेखित प्रावधान अंतर्गत नीचे दी गई तालिका में उल्लेखित अशासकीय नर्सिंग महाविद्यालयों को चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा से संबद्ध गांधी स्मारक एवं संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय में शैक्षणिक सत्र 2022-23 में क्लीनिकल प्रशिक्षण की सहमति निर्धारित शर्तों के अंतर्गत प्रदान की जाती है:-

क्र.	निजी नर्सिंग कॉलेज का नाम एवं पता	पाठ्यक्रम	वर्ष	छात्रों की संख्या	कॉलम 6 में उल्लेखित छात्र संख्या के क्लीनिकल प्रशिक्षण हेतु आवंटित बिस्तरों की संख्या	आवंटन अवधि
1	3	4	5	6	7	8
1.	लॉर्ड बुद्धा स्कूल ऑफ नर्सिंग, वार्ड 15, रतहरी, पोस्ट रतहरा, रीवा	जी.एन.एम.	प्रथम वर्ष	60	100	अक्टूबर 2022 से दिसम्बर 2022 तक
		जी.एन.एम.	द्वितीय वर्ष	35	100	अक्टूबर 2022 से दिसम्बर 2022 तक
		जी.एन.एम.	तृतीय वर्ष	35	100	अक्टूबर 2022 से दिसम्बर 2022 तक
2.	जवाहर लाल नेहरू कॉलेज ऑफ नर्सिंग, एन. एच. बाईपास जंक्शन, के पास रतहरा, जिला रीवा	बी.एस.सी. नर्सिंग	प्रथम वर्ष	52	100	अक्टूबर 2022 से दिसम्बर 2022 तक
3.	स्वास्तिक नर्सिंग कॉलेज, रीवा	पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. नर्सिंग	प्रथम वर्ष	20	50	जनवरी 2023 से मार्च 2023 तक
4.	विधान्चल कॉलेज ऑफ नर्सिंग इंदिरा नगर बरा, जिला रीवा	जी.एन.एम.	तृतीय वर्ष	35	100	जनवरी 2023 से मार्च 2023 तक
		जी.एन.एम. नर्सिंग	द्वितीय वर्ष	60	100	जनवरी 2023 से मार्च 2023 तक
		पोस्ट बेसिक बी.एस.सी.	प्रथम वर्ष	60	50	जनवरी 2023 से मार्च 2023 तक
		बी.एस.सी. नर्सिंग	प्रथम वर्ष	60	100	जनवरी 2023 से मार्च 2023 तक
		बी.एस.सी. नर्सिंग	द्वितीय वर्ष	60	100	अप्रैल 2023 से जून 2023 तक
		बी.एस.सी. नर्सिंग	तृतीय वर्ष	60	100	अप्रैल 2023 से जून 2023 तक

शर्तें:-

1. प्रशिक्षण शुरू होने के पूर्व स्वशासी समिति की कार्यकारिणी एवं सामान्य सभा की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार रूपये-2,50,000/- (रूपये दो लाख पचास हजार) सुरक्षा निधि के रूप में मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा के नामे डी.डी. जमा करना अनिवार्य होगा। यह राशि प्रशिक्षण पूर्ण होने के पश्चात् बिना ब्याज के वापस की जावेगी। प्रशिक्षण काल में किसी भी तरह के क्षति होने पर समिति द्वारा तय की गई क्षतिपूर्ति जमा नहीं करने की दशा में उतनी राशि जमा सुरक्षा निधि मे से काट कर शेष राशि ही वापस की जावेगी।
2. क्लीनिकल प्रशिक्षण हेतु प्रति छात्र रूपये 2,000/- (दो हजार) की दर से प्रशिक्षण शुल्क रूपये चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा के स्वशासी निधि में पूर्व से ही जमा कराना अनिवार्य होगा।
3. छात्रों को प्रशिक्षण देते समय चिकित्सालय में संबंधित संस्था का एक शिक्षक प्रति दस प्रशिक्षणार्थी नर्सस छात्र के दर से रहना अनिवार्य होगा। जो कि छात्रों के अनुशासन को बनाये रखने के लिये पूर्ण रूपेण उत्तरदायी होगा।
4. किसी भी छात्र/छात्रा द्वारा अनुशासनहीनता करने पर प्रशिक्षण को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया जावेगा एवं जमा की गई समस्त राशि राजसात कर ली जावेगी।
5. छात्रों को प्रशिक्षण में भेजने के पूर्व संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक गांधी स्मारक चिकित्सालय से संबंधित संस्था द्वारा तैयार क्लीनिकल प्रशिक्षण रोस्टर पर स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा।
6. क्लीनिकल प्रशिक्षण का अनुमति आदेश संबंधित संस्था द्वारा सरल क्र. 01 एवं 02 के पालन उपरांत पृथक से जारी किया जावेगा।

//

(डॉ. देवेश सारस्वत)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा (म.प्र.)

रीवा, दिनांक 20/9/22

21892-99

पृ.क्र...../स्था/अराज/एमसी/2022

प्रतिलिपि-

1. रजिस्ट्रार, म.प्र. नर्सस रजिस्ट्रेशन काउंसिल, भोपाल।
2. संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, गांधी स्मारक चिकित्सालय, रीवा।
3. प्राचार्य, लॉर्ड बुद्धा स्कूल ऑफ नर्सिंग, वार्ड 15, रतहरी, पोस्ट रतहरा, रीवा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. प्राचार्य, जवाहर लाल नेहरू कॉलेज ऑफ नर्सिंग, एन.एच. बाईपास जंक्शन के पास रतहरा, जिला रीवा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. प्राचार्य, स्वास्तिक नर्सिंग कॉलेज, रीवा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. प्राचार्य, विंध्यान्वलय कॉलेज ऑफ नर्सिंग, इंदिरा नगर बरा, जिला रीवा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. महाविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शन हेतु।

S. Chawal
29/9/22

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा (म.प्र.)